अनुसूची 'तीन'

राजस्थान सरकार
राज्य स्वास्थ्य समिति (एन0आर0एच0एम0)
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक एफ–20 (नियुक्ति)/ एनआरएचएम/एचआरडी/2010/280 दिनांक: 6/09/10

अल्प अवधि विज्ञापन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न जिला स्वास्थ्य समितियों के अधीन संविदा आधारित निम्नांकित रिक्त पदों पर समेकित मानदेय एवं व्यक्तिगत अनुबंध के आधार पर चयन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

क्र. सं.	जिले का नाम	पद का नाम एवं जिलेवार रिक्त पदों की संख्या					
		पद संख्या 1	पद संख्या 2	पद संख्या 3	पद संख्या 4	पद संख्या 5	पद संख्या 6
		कनिष्ठ आयुर्वेद /नर्स कम्पाउंडर	लेखाकार	कम्पयूटर ऑपरेटर	ब्लॉक आशा फैसिलिटेटर	फार्मासिस्ट	पीएचसी आशा सुपरवाइजर
1	अजमेर	27	0	3	4	8	22
2	अलवर	22	4	6	7	6	1
3	बांसवाड़ा	.	19	2	6	9	2
4	बारां	26	10	0	5	2	2
5	बाड़मेर	17	24	11	5	5	9
6	भरतपुर	20	14	0	5	5	0
7	भीलवाड़ा	18	17	6	5	6	10
8	बीकानेर	15	0	1	2	1	0
9	बूंदी	06	6	1	0	5	5
10	चित्तौड़गढ़	03	24	1	7	6	7
11	चूरु	30	0	3	3	4	0
12	दौसा	05	0	2	0	4	0
13	धोलपुर	12	10	5	2	2	1
14	डूंगरपुर	08	23	5	0	2	6
15	श्रीगंगानगर	35	1	0	3	4	1
16	हनुमानगढ़	24	1	5	1	3	10
17	जयपुर–प्रथम	20	0	0	3	12	3
18	जयपुर–द्वितीय	07	0	0	4	1	0
19	जैसलमेर	07	7	4	3	5	2
20	जालौर	14	21	5	4	6	11
21	झालावाड़	06	7	6	2	4	7
22	झुंझनु	38	1	2	4	5	0
23	जोधपुर	36	4	5	7	7	4
24	करौली	10	3	2	1	5	0
25	कोटा	17	5	4	3	3	1
26	नागौर	21	0	3	4	4	7
27	पाली	24	4	10	8	4	15
28	प्रतापगढ़	15	9	5	1	2	11
29	राजसमंद	10	8	5	2	5	15
30	सीकर	40	3	0	3	3	1
31	सिरोही	07	9	2	1	3	6
32	सवाई–माधोपुर	05	0	2	3	2	0
33	टोंक	09	9	3	1	4	0
34	उदयपुर	16	9	13	9	1	23
कुल योग		570	252	122	118	148	182

आयु :– उपरोक्त सभी पदों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। आयु सीमा की गणना 01–01–2011 के आधार पर की जावेगी। *आयु सीमा में छूट राज्य सरकार* के नियमानुसार देय होगी।

शैक्षणिक योग्यता एवं मानदेयः–

पद संख्या 01:– कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स कम्पाउंडर : शैक्षणिक योग्यता–आयुर्वेद नर्सिंग में त्रिवर्षीय डिप्लोमा के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय/राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय से इन्टर्नशिप। मानदेय–7500/– रुपये प्रतिमाह समेकित।

पद संख्या 02:– लेखाकार : शैक्षणिक योग्यता– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक या समकक्ष उपाधि, टैली–9 पर अच्छा ज्ञान एवं एक्सेल व कम्प्यूटर अकाउंटिंग अनिवार्य। मानदेय–8,000/– रूपये प्रतिमाह समेकित।

पद संख्या 03:–कम्प्यूटर ऑपरेटर : शैक्षणिक योग्यता–किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष उपाधि एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, एम.एस. ऑफिस का अच्छा ज्ञान तथा अच्छी टाईपिंग गति (न्यूनतम गति हिंदी–35 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी–40 शब्द प्रति मिनट दोनों में)। मानदेय–6000/– रुपये प्रतिमाह समेकित।

पद संख्या 04:– ब्लॉक आशा फैसिलिटेटर : शैक्षणिक योग्यताः– किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नाकोत्तर या समकक्ष उपाधि । मानदेय–8000/– रुपये प्रतिमाह समेकित।

पद संख्या 05:– फार्मासिस्ट : शैक्षणिक योग्यता– राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी–फार्मा/डी–फार्मा एवं राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से पंजिकृत फार्मासिस्ट। मानदेय–7000/– रुपये प्रतिमाह समेकित।

पद संख्या 06:– पीएचसी आशा सुपरवाइजर : शैक्षणिक योग्यता– किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष उपाधि। मानदेय–5000/– रुपये प्रतिमाह समेकित।

नोटः– पद संख्या 02 व 03 के लिए जिलेवार प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची के आधार पर राज्य स्तरीय वरीयता सूची बनाई जाकर कुल रिक्त पदों से तीन गुनी संख्या में अभ्यर्थियों को राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली कम्प्यूटर टेस्ट परीक्षा (लेखाकार पद हेतु टेली टेस्ट परीक्षा) में शामिल किया जाएगा। कम्प्यूटर / टेली टेस्ट में निर्धारित अर्हता अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ही अंतिम वरीयता सूची हेतु पात्र माने जायेगें ।

आरक्षणः–

1. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए नियमानुसार आरक्षण पूर्व की बैकलॉग सहित देय होगा किन्तु आरक्षित वर्ग में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सामान्य वर्ग से रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।
2. निःशक्तजन/भूतपूर्व सैनिक/महिला अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार दण्डवत् आरक्षण देय होगा।
3. राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों (TSP) के अभ्यर्थियों एवं सहरिया आदिम जाति के लिए नियमानुसार आरक्षण देय होगा। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

चयन एवं अनुबंध की शर्तें:–

1. चयनित अभ्यर्थियों का व्यक्तिगत अनुबन्ध वित्तीय वर्ष अथवा एन.आर.एच.एम. गतिविधियां जारी रहने तक जो भी पहले हो, के लिए मान्य होगा। कार्य संतोषप्रद होने पर ही अगले वर्ष के लिए अनुबंध नवीनीकरण योग्य होगा। व्यक्तिगत अनुबंध जिला स्वास्थ्य समिति/आरएमआरएस के माध्यम से किया जायेगा, जो राशि 500/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर होगा।
2. विज्ञापित पदों को किसी भी समय घटाये/बढ़ाये जाने का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।
3. चयन का आधार वांछित योग्यता में प्राप्तांक प्रतिशत की वरीयता होगा। वांछित योग्यता से उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की स्थिति में जिसमें प्राप्तांक प्रतिशत ज्यादा हो उस शैक्षणिक योग्यता को चयन का आधार माना जावेगा।
4. अभ्यर्थी को दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् तीसरी संतान होने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है, किन्तु पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई माना जावे। (शपथ पत्र संलग्न करें)
5. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. जिन अभ्यर्थियों ने विवाह के समय दहेज लिया/दिया है, वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। (शपथ पत्र संलग्न करें)
7. जिन पुरूष/महिला अभ्यर्थी के एक से अधिक पति/पत्नी हैं, तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। (शपथ पत्र संलग्न करें)
8. शासन के परिपत्र क्रमांक प–6 (19) गृह–13/2006 दिनांक 22–05–06 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन अनिवार्य हैं। (यदि अभ्यर्थी विवाहित हैं तो विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)
9. एक से अधिक पदों के लिये आवेदन की स्थिति में अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत करने होंगे।
10. अनुबन्ध की अन्य शर्तें संबंधित जिले के जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।
11. उल्लेखित शर्तो में किन्ही या सभी शर्तो में परिवर्तन हेतु विभाग पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होगा।
12. चयनित उम्मीदवार के कार्यग्रहण नहीं करने अथवा अन्य किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों हेतु, सभी पात्र/योग्य उम्मीदवारों जिनका चयन मुख्य सूची में नहीं हो पाया हैं, की एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। यह प्रतीक्षा सूची जिस वित्तीय वर्ष में यह विज्ञप्ति जारी की गई हैं उसी वित्तीय वर्ष के लिये ही मान्य होगी तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ प्रतीक्षा सूची स्वतः निरस्त हो जायेगी।

आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि:–

1. इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र मय वांछित समस्त प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियों सहित संबंधित जिले की जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, को दिनांक 30–09–2010 सायंकाल 6.00 बजे तक रजिस्टर्ड/स्पीड डाक/कोरियर द्वारा प्रस्तुत किए

जा सकेंगे। अभ्यर्थी आवेदन पत्र के लिफाफे पर "*विज्ञापन संख्या एवं पद जिसके लिए आवेदन किया जा रहा हैं,* स्पष्ट रूप से अंकित करें। अंतिम दिनांक के पश्चात् पहुंचने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जावेंगे, भले ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र किसी भी माध्यम से भेजा गया हो।

2. आवेदन शुल्कः– उक्त सभी पदों के लिए निर्धारित शुल्क का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर, जिला स्वास्थ्य समिति के नाम संलग्न करें। (सामान्य वर्ग के लिए 100/–रुपये तथा एस.सी/एस.टी/ओबीसी वर्ग के लिए 50/–रुपये शुल्क देय होगा)
3. एक जिले में किया गया आवेदन सभी जिलों के लिए मान्य होगा।
4. अभ्यर्थी को बुलाये जाने पर अभ्यर्थी वांछित समस्त मूल दस्तावेजों (समस्त अंक तालिकाओं एवं प्रमाण पत्रों आदि) सहित संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में काउंसलिंग हेतु उपस्थित होगा।
5. सभी जिलों में प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर जिला स्वास्थ्य समितियों के अधीन गठित चयन समिति द्वारा योग्य अभ्यर्थियों को सभी जिलों में एक ही तिथि को काउंसलिंग हेतु बुलाया जावेगा एवं मूल दस्तावेज सांय 6:00 बजे पश्चात ही अभ्यर्थी को लौटाये जायेंगे। काउसंलिंग के समय अभ्यर्थी से चयन होने की स्थिति में जिला आवंटन का विकल्प वरीयता पत्र भरवा कर लिया जायेगा। जिला आवंटन वांछित योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत की वरीयता के आधार पर किया जावेगा। काउंसलिंग में अभ्यर्थी के आवेदित पद के लिए वांछित योग्यताओं का मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन किया जावेगा। जिलों से प्राप्त योग्य अभ्यर्थियों की प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर राज्य स्तरीय वरीयता सूची बनाई जावेगी।
6. नियुक्ति संबंधित विस्तृत विवरण, आवेदन पत्र का प्रारूप, शपथ पत्र का प्रारूप इत्यादि के लिये विभागीय वेबसाईट www.rajswasthya.nic.in/www.nrhmrajasthan.nic.in पर लॉग–ऑन करें।

मिशन निदेशक
एन.आर.एच.एम.

आवेदन पत्र का प्रारूप
एन.आर.एच.एम. योजनान्तर्गत व्यक्तिगत अनुबंध पर चयन हेतु आवेदन

नीचे दिए गए प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियां टाईप कर भेजे।

पासपोर्ट आकार की स्वयं द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो यहां चिपकाऐं

1. पद का नाम (जिसके लिए आवेदन किया जा रहा हैं।):–
2. आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :–
3. पिता/पति का नाम :–
4. स्थाई पता :–
8. पत्र व्यवहार हेतु पता:–
6. जन्म तिथि (सैकेण्डरी/हाईस्कूल की अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र संलग्न करें) :–
7. लिंग (पुरूष/महिला) :–
8. राष्ट्रीयता :–
9. जाति वर्ग (अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें) :–
10. निःशक्तजन (One leg category विकलांगता 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न करें) :–
11 अ. वैवाहिक स्थितिः–विवाहित ☐ अविवाहित ☐ परित्यक्ता ☐ विधवा ☐ तलाकशुदा ☐
ब. विवाह पंजीयन (प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :– हाँ / नहीं।
12. भू.पू. सैनिक (सक्षम अधिकारी द्वारा सेवा सत्यापन एवं जिला सैनिक बोर्ड का प्रमाण पत्र संलग्न करें) :–
13. शैक्षणिक योग्यता :–

परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि./संस्थान का नाम	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

14. इन्टर्नशिप पूर्ण करने की दिनांक (जहां लागू हों) :–
15. दहेज न लेने/एक से अधिक पति–पत्नी न होने/ तीसरी संतान न होने का शपथ पत्र (एक ही शपथ पत्र में) पृथक से संलग्न करें।
16. डिमाण्ड ड्राफ्ट/आईपीओ का विवरणः–

डी.डी/ आईपीओ नं.	बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम	जारी करने की तिथि	आहरित स्थान

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण, तथ्य, प्रमाण पत्र आदि मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। मैं जानता हूं कि किसी भी सूचना के असत्य व गलत पाये जाने पर मेरा आवेदन/चयन रद्द किया जा सकता है। यदि चयन पश्चात् उक्त तथ्य गलत पाया जाता है, तो विभाग अनुबंध निरस्त करते हुए दाण्डिक कार्यवाही किये जाने के लिए स्वतंत्र होगा।

स्थान : आवेदक के हस्ताक्षर
दिनांक : नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता मय दूरभाषः

नोट :– 1. समस्त वांछित प्रमाण पत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रतियां एवं शपथ पत्र संलग्न करें।
2. आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र का प्रारूप विभागीय वैबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता हैं।

संलग्न :– दस्तावेजों की सूची

शपथ–पत्र का प्रारूप

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... उम्र ....
निवासी .... सत्यनिष्ठा एवं ईश्वर को साक्षी मानकर निम्न शपथ बयान करता/करती हूँ :–

1. यह कि मेरे 01.06.2002 को या इसके पश्चात तीसरी जीवित संतान नहीं हैं।
2. यह कि मेरे एक से अधिक जीवित पति/पत्नी नहीं हैं।
3. यह कि मैनें विवाह के समय कोई दहेज नहीं लिया/दिया हैं।

उक्त शपथ मेरे द्वारा पूरे होशो हवास में की गई हैं। इनमें यदि कोई भी सूचना असत्य/गलत पाई जाती हैं, तो विभाग मेरा आवेदन निरस्त किये जाने एवं मेरे विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के लिये स्वतन्त्र होगा।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर
शपथग्रहिता

नोट : उक्त शपथ–पत्र स्टाम्प पेपर पर टंकित करवाकर नोटेरी से प्रमाणित करवाना होगा।